

अंतिम डिक्री मुकद्दमात ईब्तदाई
(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता धीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी- भागीरथराम आर.ए.एस.)

निसल नं० 810/दावा/2016
(पूर्व मि० नं० 799/2015)
दायरा दि० 21/11/2014

उनवान

नंदकिशोर पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर

— वादीगण

बनाम्

1. भीमराज पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
2. वृजमोहन पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
3. कमलाबाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
4. उदयलाल पुत्र विरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
5. रूकमणी देवा विरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
6. बनवारीलाल पुत्र प्रेमचंद जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
7. ओमप्रकाश पुत्र प्रेमचंद जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
8. निर्मलाबाई पुत्री प्रेमचंद पत्नि युद्धिप्रकाश जाति धाकड़ निवासी बसन्तखेड़ी पोस्ट रातड़िया तह० अंता जिला बारां
9. सीमाबाई पुत्री प्रेमचंद पत्नि कृष्णमुरारी जाति धाकड़ निवासी पादून्दा पोस्ट पादून्दा तह० अन्ता जिला बारां
10. कांतिबाई पत्नि प्रेमचंद जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
11. शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी देवरीजोव पोस्ट गोरधनपुरा तह० छीपायडौद जिला बारां
12. रमेशचंद पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
13. नवलकिशोर पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
14. कांतिबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि यजरंगलाल जाति धाकड़ निवासी तारज तह० खानपुर
15. ललताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि रामकिशन जाति धाकड़ निवासी खेड़ी पोस्ट गोरधनपुरा तह० छीपायडौद जिला बारां
16. भूलीबाई पत्नि धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
17. शाखा प्रबंधक महोदय, सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां तह० खानपुर
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरु गुझ श्री भागीरथराम आर० ए० एस० व हाजरी वादीगण मिन जानिव मुद्दई - वादी रूबरु - प्रतिवादी जानिव मुद्दहालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:-

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.18 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सारोलाकलां की जमाबंदी सं० 2070-73 की खाता सं० 37 की 13 किता रकबा 75.18 बीघा आराजी में से वादी के 1/15 हिस्से का विभाजन निम्नप्रकार किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।


सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

बादी :- नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ निवासी सारोलाकलां तह0 खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क्र0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
1	सारोलाकलां	1407	0.07	पूर्व
2	सारोलाकलां	2031	1.08	पूर्व
3	सारोलाकलां	2102	3.02	दक्षिण
4	सारोलाकलां	2103	0.04	उत्तर-पश्चिम
कुलयोग		4 कित्ता	5.01	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे। खाते पर रहन का अंकन एवं शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 02/01/2019 को न्याय आपके द्वार केम्प खानपुर में हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (मालावाड़)